न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : एकता काबरा, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 94/2018
निर्णय दिनांक : 18.07.2023

उनवान

1. राजकिशोर पुरोहित पुत्र श्री गंगाबल्लभ पुरोहित (मृतक दौराने वाद)
1/1. सुशीला देवी पत्नी स्व. श्री राजकिशोर पुरोहित
1/2. महेश पुत्र स्व. श्री राजकिशोर पुरोहित
1/3. धमेश पुत्र स्व. श्री राजकिशोर पुरोहित
1/4. उपेन्द्र पुत्र स्व. श्री राजकिशोर पुरोहित
1/5. शैलेन्द्र पुत्र स्व. श्री राजकिशोर पुरोहित
1/6. मनीष पुत्र स्व. श्री राजकिशोर पुरोहित
समस्त जाति पारीक, निवासी 19/2403 रगेश्वर महादेव की गली, नाहरगढ रोड, पुरानी बस्ती, जयपुर।
2. श्रीमति सावित्री पारीक बेवा स्व. श्री सीताराम पारीक (मृतक दौराने वाद नाम हजफ दिनांक 23.10.2018)
3. संजीव पुत्र स्व. श्री सीताराम पारीक
4. राजीव पुत्र स्व. श्री सीताराम पारीक
5. प्रदीप पुत्र स्व. श्री राधाबल्लभ पुरोहित
6. कुलदीप पुत्र स्व. श्री राधाबल्लभ पुरोहित मृतक कायम मुकाम
6/1. नलिनी जोशी बेवा श्री कुलदीप पारीक
6/2. सिद्धार्थ पुत्र कुलदीप पारीक
7. जगदीप पुत्र स्व. श्री राधाबल्लभ पुरोहित मृतक कायम मुकाम
7/1. बीना त्रिपाठी बेवा जगदीप पुरोहित
7/2. प्रियदर्शी पुत्र स्व. श्री जगदीप पुरोहित
समस्त निवासी खटवाडा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर हाल निवासी जिलेदार जी की गली, नाहरगढ रोड, जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जी, सांगानेर।
2. नायब तहसीलदार, बगरू, जिला जयपुर।
3. अरूण पुत्र विजयचंद पुरोहित पुत्र मनभर देवी पुत्री स्व. गोपी बल्लभ पुरोहित निवासी पुरानी बस्ती, जयपुर हाल निवासी प्लाट संख ढी–4, फ्लेट सं. 503, हरिकृपा मीरा मार्ग, बनीपार्क जयपुर।
4. भौरी देवी पत्नि स्व. सीताराम पुत्री गापीबल्लभ जी निवासी बतखडा, पुरानी बस्ती, गोविन्दराव जी का रास्ता, नियर कबीर भवन, जयपुर मृतक जरिये कायम मुकाम
4/1. ओमप्रकाश पुत्र स्व. सीताराम जी
4/2. प्रेमप्रकाश पुत्र स्व. सीताराम जी मृतक जरिये कायम मुकाम
/2/1. अनिल पुत्र स्व. प्रेमप्रकाश
निवासीगण बतखडा, पुरानी बस्ती, गोविन्दराव जी का रास्ता, जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती एवं हुक्मदवामी व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

पत्रावली वास्ते आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 उभयपक्षकारान सुनी गई।

प्रार्थी/प्रतिवादी अभिवक्ता ने बहस में अपने प्रार्थना पत्र एवं लिखित बहस के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण ने एक वाद बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती न्यायालय में दिनांक 25.04.2018 को प्रस्तुत किया। उक्त वाद में वादीगण ने अंकित किया है कि वादीगण के बुजुर्गान स्व रामबक्स जी, जिनके पुत्र कल्याणबक्स के तीन पुत्र गोपीबल्लभ, गंगाबल्लभ और राधाबल्लभ जी थी उनकी आराजी वाके ग्राम खटवाडा में स्थित उक्त भूमि जागीरदार वादीगण बुजुर्गान थे। उक्त भुमि उनके बुजुर्गान की बताते हुए यह अंकित किया कि गोपीबल्लभ जी की मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्री मनभर देवी उर्फ प्रभा देवी के नाम राजस्व रिकार्ड खुला और मनभर देवी उर्फ प्रभा देवी की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी संख्या 3 अरूण जोशी का नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज हुआ। राजस्व रिकार्ड को उनका इन्द्राज करने का अधिकार नही था और प्रार्थीगण ने नकल प्राप्त कर ली। इसके अतिरिक्त वादीगण ने अपने वाद पत्र में यह भी अंकित किया कि वादीगण ने उक्त तथ्य की जानकारी होने पर अपने नाम का हिस्सा उनके दोहिते अरूण जोशी से इन्द्राज कराने को कहा तो वह टालमटोल कर रहा था और यह अंकित करते हुए कि गोपीबल्लभ जी का उक्त सम्पति में केवलमात्र 1/3 हिस्सा था शेष हिस्सा उनके भाईयों के हिस्से का था जिसको अरूण जोशी ने इन्द्राज कराने से साफ मना कर दिया। उक्त तथ्यों के आधार पर वादीगण ने उक्त वादइ प्रस्तुत करते हुए अनुतोष चाहा कि न्यायालय वादीगण के 2/3 हिस्से को शामलाती मानते हुए राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज के व मुआवज के अनुतोष चाहा। वादीगण ने अपने वाद पत्र की प्लीडिंग में कही पर भी वाद कारण उत्पन्न होने की कोई दिनांक अंकित नही की, और कोई भी वाद विधि के प्रावधानों के अनुसार बिना वादकारण के प्रस्तुत नही हो सकता। उक्त वाद में कही भी मियाद अधिनियम के प्रावधानों और अभिवचनों के मुख्य कारक तत्व जिसमें मियाद सम्बन्ध में भी अंकन किया जाना आवश्यक है वो जानबुझकर वादीगण ने अंकित नही किया क्योंकि वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के साथ जो रिकार्ड न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है उसके अनुसार उक्त कृषि भूमि स्व श्री रामनारायण जी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। रामनारायण जी लाऔलाद थे। उनकी सेवा सुश्रुषा से प्रसन्न होकर स्व रामनारायण जी ने अपने जीवनकाल में उक्त सम्पति के सम्बन्ध में एक रजिस्टर्ड वसीयतनामा के पश्चात उनका स्वर्गवास दिनांक 27.07.1953 को होने पर उक्त वसीयत के आधार पर उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 3 के स्व नाना गोपी बल्लभ जी का नाम अंकित हुआ अर्थात सर्वप्रथम वादीगण को कॉज आफ एक्शन वर्ष 1953 में उत्पन्न हुआ और पूरे जीवनकाल में गोपीबल्लभ जी के नाम उक्त कृषि भूमि का इन्द्राज रहा और उनके पूरे जीवनकाल में किसी भी व्यक्ति ने अथवा वादीगण अथवा उनके पूर्वजों ने कोई आपत्ति नही की। गोपीबल्लभ जी का स्वर्गवास दिनांक 21.05.1967 को हुआ और उनकी मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी संख्या 3 की माता का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन हुआ और सन 1967 से वर्ष 2003 तक प्रतिवादी संख्या 3 की माता के जीवनकाल में राजस्व रिकार्ड में उनका नाम बतौर खातेदार अंकित रहा। इस दौरान भी वादीगण अथवा उनके पूर्वजों ने उक्त राजस्व रिकार्ड के सम्बन्ध में कोई भी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की और वर्ष 2003 के पश्चात प्रतिवादी संख्या 3 का राजस्व रिकार्ड में अंकन हुआ। वादकारण के सम्बन्ध में 65 वर्ष की अवधि पश्चात प्रस्तुत हुआ है यही स्पष्ट कारण है कि वादीगण ने अपने वाद पत्र में कही पर भी वाद कारण की कोई दिनांक अंकित नही की जिससे कि न्यायालय को समय अवधि के सम्बन्ध में गुमराह किया जा सके। आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के आज्ञात्मक प्रावधानों के अनुसार आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के अनुसार अगर वाद

पत्र में कोई कॉज आफ एक्शन डिस्क्लॉज नही होता है तो वाद खारिज किया जाना चाहिए। अतः प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण का वाद आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत खारिज किया जावे। अप्रार्थी/वादीगण अधिवक्ता ने बहस में अपने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई शपथ पत्र पेश नही किया गया है जो कि प्रस्तुत करना कानूनन आवश्यक है। इसलिए वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 19 जा0दी0 व राजस्व न्यायालय नियमावली भाग 2 के नियम 33 व 46 के अनुसार संधारण योग्य नही है जिस कारण से प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादी ने केवल मात्र प्रकरण को देरी करने की नियत से प्रस्तुत किया है।

बहस उभयपक्षकारान पर मनन किया व पत्रावली मे दस्तावेजात व न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद इन्द्राज दुरूस्ती एवं हुक्मदवामी व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है जो लगभग 65 वर्षो के पश्चात किया गया है। वादीगण ने अपने वाद पत्र में यह कही भी अंकित नही किया है कि वादकारण कब और कैसे उत्पन्न हुआ है और स्थाई निषेधाज्ञा वाद के लिए वादकारण का होना अनिवार्य है और वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा होना आवश्यक है, वादीगण ने ऐसा कोई कथन अपने अभिवचनों में अंकित नही किया गया है, वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के साथ जो रिकार्ड न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है उसके अनुसार उक्त कृषि भूमि जागीरदार रिज्यूम होने के पश्चात रामनारायण के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित हुई, इस प्रकार उक्त वादग्रस्त भूमि रामनारायण की स्वअर्जित सम्पति है जिसको रामनारायण को किसी को भी हस्तान्तरण का पूर्ण अधिकार है। रामनारायण ने उक्त वादग्रत भूमि को जरिये रजिस्टर्ड वसीयतनामा प्रतिवादी संख्या 3 के नाना गोपीबल्लभ के नाम कर दी जिससे गोपीबल्लभ की स्वअर्जित सम्पति हुई, गोपीबल्लभ का स्वर्गवास के पश्चात उसकी विरासत का नामान्तरकरण उसकी पुत्री यानि प्रतिवादी संख्या 3 की माता का नाम राजस्व रिकार्ड अंकित हुई और प्रतिवादी संख्या 3 की माता की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी संख्या 3 का राजस्व रिकार्ड में अंकन हुआ और प्रतिवादी संख्या 3 उक्त वादग्रस्त भूमि पर काबिज है, इस प्रकार वादीगण को उक्त वादग्रस्त भूमि किसी प्रकार कोई अधिकार प्राप्त होना साबित नही होता है और ना ही कोई अधिकार दिये जा सकते है, ऐसी स्थिति में प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एकता काबरा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर)
जयपुर।